2023/139

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–पंजी / 11 / 2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी धनराज पुत्र श्री सही राम जाति कुम्हार, निवासी 7 ई छोटी, बिरथलियांवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान हेतु प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता श्री सही राम पुत्र श्री काशी राम, निवासी 45 एलएनपी, हरखेवाला, तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर ने एक बंद वसीसत दिनांक 02.02.2022 को कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 27.02.2023 को हो गया था। प्रार्थी ने उनके द्वारा दिनांक 02.02.2022 को रखवाई गयी बंद वसीयत को खोली जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान मदन लाल पुत्र श्री शंकर लाल एवं पन्नालाल पुत्र श्री ओम प्रकाश ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री मोहनलाल माहर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है। 13/23

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय